यू० पी० बैंक इम्प्लाईज यूनियन

पंजीकरण संख्या–538
ए.आई.बी.ई.ए. से संबद्ध
केन्द्रीय कार्यालय : 106/107 द्वितीय तल, ब्लाक संख्या 26/2/4, संजय प्लेस, आगरा–282002
पत्र व्यवहार : 3/17, विभव नगर, आगरा–282 001, मो0: 09837472750
फोन/फैक्सः (नि0) 0562–4044383, **E-mail: mmrai_2509@yahoo.co.in & mmrai2509@gmail.com**

परिपत्र संख्या : 2016–19/93/2017 **दिनांक :** 14.10.2017

सभी प्रान्तीय पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों
जिला इकाईओं के मंत्रियों/अध्यक्षों हेतु

प्रिय साथियों,

शरारती तत्वों द्वारा भ्रामक सूचनायें

जैसा कि आपको पता ही है कि द्विपक्षीय समझौते के समय तरह–तरह की भ्रामक सूचनायें एवं दुष्प्रचार शरारती तत्वों द्वारा सोशल मीडिया, वाट्सएप आदि में प्रसारित किये जाते हैं। कुछ शरारती तत्वों द्वारा आईबीए के साथ 3.10.2017 को हुई वार्ता पर 5 कामगार यूनियनों द्वारा जारी परिपत्र में छेड़छाड़ करके भ्रामक सूचना सोशल मीडिया में प्रसारित की जा रही है। एआईबीईए के महामंत्री साथी सी.एच. वेंकटचलम् ने इस प्रकार की गलत सूचनाओं और दुष्प्रचार पर ध्यान न देने और इन्हें प्रसारित एवं अग्रेषित न करने की अपील करते हुए अपना परिपत्र दिनांक 13.10.2017 जारी किया है जिसका अनूदित सार हम अपनी सभी इकाईओं तथा सदस्यों की सूचना हेतु नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं।

अभिवादन सहित,
आपका साथी,

(मदन मोहन राय)
महामंत्री

प्रिय साथियों,

शरारती तत्वों से झूठी सूचनाओं के शिकार न बनें
कृपया अनधिकृत संदेशों को प्रसारित या अग्रेषित न करें

आज सुबह से, मेरे नाम पर एक भ्रामक संदेश है जो कि सोशल मीडिया समूहों में यह सूचित करते हुए प्रसार में है कि आईबीए 01.11.2017 से प्रभावी 5 दिवसीय बैंकिंग के लिए सहमत हो गई है। इस बिन्दु को 03.10.2017 को आईबीए के साथ हुई वार्ता के परिणाम पर हमारी 5 कामगार यूनियनों द्वारा भेजे गये संचार में शरारत से डाला गया है। **यह एक धोखाधड़ी, जालसाजी, नकली और हेरफेर है।**

हमारे मूल परिपत्र में 5 दिवसीय बैंकिंग के मुद्दे का कोई उल्लेख नहीं था लेकिन सदस्यों के बीच भ्रम पैदा करने के लिए इसे गुप्त तरीके से और चोरी–छिपे जोड़ा और प्रसारित किया गया है।

जारी पृष्ठ 2

इस मुद्दे को यूनियनों द्वारा उठाया गया था लेकिन इस संबंध में अभी तक कुछ नहीं हुआ है। ऐसी झूठी सूचना को परिचालित करना वह भी हमारे परिपत्र के हेरफेर द्वारा अत्यधिक निंदनीय और आपत्तिजनक है और हम इसकी दृढ़तापूर्वक निंदा करते हैं। हम इस झूठे संदेश और हेरफेर किए हुए संचार के उद्गम का पता लगा रहे हैं और मामले को पुलिस तथा संबंधित बैंक प्रबन्धन को सूचित किया जायेगा।

हम जानते हैं कि हमेशा ऐसे हताश और नकारात्मक तत्व होते हैं जो हमारी एकता तथा हितों के विरोधी हैं। वे कर्मचारियों के बीच भ्रम पैदा करने में कुछ उदासीन आनंद प्राप्त करते हैं। लेकिन उन्हें यह नहीं पता है कि उनकी पथभ्रष्ट कार्रवाईयों द्वारा वे बैंक कर्मचारियों के समुदाय को बहुत हानि पहुंचा रहे हैं।

क्या महत्वपूर्ण है उन्हें अनदेखा करना है। लेकिन हमारे कुछ सदस्य अनजानेपन में इन संदेशों को अग्रेषित कर रहे हैं जो केवल भ्रम को बढ़ायेगा जो आलोचक चाहते हैं। हमारे पास हमारे सदस्यों तक कोई भी प्रगति या सूचना पहुंचाने की हमारी अपनी प्रामाणिक व्यवस्था और प्रणाली है और इसलिए हमें ऐसे संदेशों पर विश्वास नहीं करना चाहिए और न ही ऐसे अनधिकृत संदेशों को प्रसारित या अग्रेषित करना चाहिए। **हमारी सभी इकाईयाँ तथा सदस्य कृपया इस पर ध्यान दें और सहयोग करें।**

अभिवादन सहित,

आपका साथी,
ह0..
सी.एच. वेंकटचलम्
महामंत्री